तत्काल/आवश्यक

संख्या 1689 /56 (106)/XI /ग्रा.वि.वि. /2010

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ, नैनीताल/गढ़वाल, पौड़ी।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

ग्राम्य विकास अनुभाग देहरादूनः दिनांक 12-10-10 अक्टूबर, 2010

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–1679/56(106)/XI/2009 दि0 27 अक्टूबर, 2009 द्वारा जारी बिन्दुओ का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अटल आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत अटल आदर्श ग्राम को संतृप्त किये जाने हेतु निम्न विषयों से सम्बन्धित योजनाओं से 31 मार्च 2010 तक अनिवार्यतः संतृप्त कर दिया जाये :–

| | |
|---|---|
| 1. मोटर मार्ग से ग्रामीण संयोजकता। | 2. विद्युतीकरण |
| 3. पेयजल सुविधा। | 4. माध्यमिक विद्यालय बालिका छात्रावास सहित। (यदि विद्यालय सम्बन्धित ग्राम से पॉच कि0मी0 से अधिक दूरी पर हो )। |
| 5. मात् शिशु कल्याण केन्द्र। | 6. आंगनवाडी। |
| 7. ग्रामीण स्वच्छता। | 8. पंचायत भवन। |
| 9. सरकारी सस्ता गल्ला विकेता। | 10. कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्र। |
| 11. पशु सेवा केन्द्र। | 12.व्यवसायिक/सहकारी बैंक शाखा/मोबाईल बैंकिंग (यदि बैंक सम्बन्धित ग्राम से पॉच कि0मी0 से अधिक दूरी पर हो)। |
| 13. सिंचाई सुविधा। | |

उपरोक्त समस्त आवश्यक सुविधाओं से संतृप्त किये जाने हेतु पूर्व में जारी मार्ग निर्देशिका एवं शासनादेश के द्वारा माध्यमिक विद्यालय बालिका छात्रावास सहित एवं व्यवसायिक/सहकारी बैंक शाखा अथवा मोबाईल बैकिग की सुविधा (यदि विद्यालय/बैंक सम्बन्धित ग्राम से 5 कि0मी की दूरी पर स्थित हो) को संतृप्त मानते हुए उल्लेखित किया है कि कार्यक्रमों के चयन के लिए भौगोलिक दूरी/जनसंख्या के आधार पर मानक निर्धारित माना जाय।

उपरोक्त वर्णित शासनादेश के क्रम में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि व्यवसायिक/सहकारी बैंक/मोबाईल बैंकिंग की सुविधा एवं माध्यमिक बालिका विद्यालय की स्थापना अटल आदर्श ग्राम मुख्यालय पर उपलब्ध कराने के बाद ही संतृप्त माना जायेगा।

उपरोक्त वर्णित आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अटल आदर्श ग्राम मुख्यालय पर निम्न सुविधायें और उपलब्ध करायी जायें:–

(i) लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना।
(ii) वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना।
(iii) कॉमन सर्विस सेंटर– इसे मिनी बैंक के साथ ही स्थापित किया जाये।
(iv) पर्यटन ग्राम के रूप में विकास।
(v) आई.टी.आई. एवं पालिटेक्निक के माध्यम से दक्षता विकास।
(vi) प्रत्येक अटल आदर्श ग्राम को विशेष रूप में इंगित किये जाने हेतु निर्धारित एक समान डिजाईन के आधार पर बोर्ड लगाये जाये

अतः प्रत्येक कियान्वयन/रेखीय विभाग अपने मौलिक भौतिक लक्ष्य निर्धारित कर विभागीय योजनाओं से माह दिसम्बर, 2010 तक लक्ष्य पूर्ण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करते हुए नोडल विभाग (ग्राम्य विकास विभाग) को समस्त सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित लक्ष्य के आधार पर ही प्रत्येक माह योजना की समीक्षा की जायेगी।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
मुख्य सचिव

पत्रांक 1689/अटल आदर्श/ग्रा.वि.वि./तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड पौड़ी।
2. समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास विकास अभिकरण, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सरकार।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्री गण, उत्तराखण्ड सरकार को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।

आज्ञा से

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव